न्यायालय- मुंसिफ,अनुमण्डल व्यवहार न्यायालय, बनमनखी (पूर्णियाँ) जिला- पूर्णियाँ, बिहार स्वत्व वाद संख्या- 12/2016

जगदीश सिंह पिता स्व.बृज बिहारी सिंह ----- वादी

सतीश सिंह पिता स्व. बृज बिहारी सिंह व अन्य ----- प्रतिवादीगण

वादी के विद्वान अधिवक्ता- श्री नागेन्द्र पोद्दार प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता-

आदेश की तिथि- 28-02-2019

वर्तमान पीठासीन पदाधिकारी- श्री विरेन्द्र प्रसाद,

आदेश

1. वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में निम्नलिखित अनुतोष की मांग की गयी है- (A) यह कि प्रतिवादियों के विरुद्ध वादी के पक्ष में ¼ वें हिस्से का प्रारंभिक डिक्री पारित किया जाय | (B) यदि प्रारंभिक डिक्री के के आदेश को प्रतिवादिगण पालन नहीं करते है तो survey knowing pleader commission को नियुक्त करके उस प्रारंभिक डिक्री को अन्तिम डिक्री दिया जाय |(C) वाद पत्र का खर्चा भी दिलाया जाय | (D) वादी को कोई अन्य अनुतोष या अनुतोषों भी दी जाय |

2. वादी का वाद वाद-पत्र के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है- यह कि उक्त वाद में दर्शायी गयी सिड्यूल " A " की जमीन विभिन्न प्लाट और खाता मिलकर रकबा 6.98 डी. जो मौजा- बनमनखी में स्थित है जो वाद भूमि है | यह कि वाद भूमि का आर.एस.खतियान ब्रज बिहारी सिंह, बैज नाथ सिंह पिता स्व.जय नारायण सिंह और रामदयाल सिंह पिता रामाधीन सिंह के नाम से बना है जो कि सभी का बराबर ½ और ½ अंश जय नारायण सिंह एवं रामधीन सिंह दोनों शाखा के बीच है | यह कि जयनारायण सिंह एवं रामधीन सिंह सर्वे होने के पश्चात जमीन का क्ल रकबा 21.54 डी. दर्ज पाया गया, रकबा 10.77 डी.जो ½ अंश हिस्सा जमीन जयनारायण सिंह को तथा रकबा 10.77 डी. जमीन रामदयाल सिंह पिता रामाधीन सिंह को प्राप्त हुआ | यह कि वाद खाता संख्या- 1400, प्लाट संख्या- 2854, 2855, 2856, 2859, की जमीन का खितयान में सिर्फ वादी के पिता ब्रज बिहारी सिंह के नाम से दर्ज हुआ इस लिए रकबा 1.60 डी. जमीन वादी के पिता का अंश है | यह कि वादी जयनारायण सिंह का वरिशान है जिन्होंने अपने पीछे दो पुत्रो ब्रजबिहारी सिंह एवं बैधनाथ सिंह को छोड़ कर मर गए जिन्हें कुल रकबा 10.77 डी. जमीन प्राप्त हुआ | यह कि जयनारायण सिंह के मृत्य पश्चात दोनों लड़को ब्रजबिहारी सिंह एवं बैजनाथ सिंह ने सन 1980 में आपसी बटवारा कर लिए और प्रत्येक को 5.38 ½ डी. हिस्सा मिला |यह कि वर्तमान वाद 6.98 डी. पर लाया गया है जो वादी के पिता ब्रजबिहारी सिंह को हिस्सा मिला था | यह कि वादी का पिता का वंशावली ब्रजबिहारी सिंह से श्रू होता है जो वादी एवं प्रतिवादी है | यह कि इस प्रकार ब्रजबिहारी सिंह अपने पीछे चार प्त्र छोड़ कर मर गए जिनका नाम स्व. गिरीश सिंह, स्व. शशिभूषण सिंह, सतीश सिंह एवं जगदीश सिंह (वादी) है | यह कि ब्रजबिहारी सिंह के चार पुत्रों में स्व. गिरीश सिंह एवं स्व. शशिभूषण सिंह की मृत्यु

पूर्व में ही हो गयी है इसलिए उनके पुत्र एवं पत्नी को पक्षकार बनाया गया है | यह कि वाद भूमि संयुक्त सम्पित है जो ब्रजिबहारी सिंह का चार पुत्रों का संयुक्त सम्पित है जो चार आना हिस्सा वादी के प्रत्येक भाई क है जिसमे वाद भूमि में वादी को ¼ हिस्सा है | यह कि वाद भूमि संयुक्त सम्पित है जो वादी के साथ संयुक्त रूप से खेती-बाड़ी होता है अन्य भाई जो प्रतिवादी है, जो दुसरे जिला सारण में रहते है | जिस कारण वादी को रख-रखाव में और प्रगित में कठिनाई होती है | यह कि वाद भूमि में वादी द्वारा फसल एवं वृक्ष लगाये है लेकिन प्रतिवादी के द्वारा काट ली जाती है जिसमे वादी खेती के साथ-साथ पेड़ भी लगाये है जो बेचने लायक है जिसे प्रतिवादी वादी के विरुद्ध बेचना चाहता है | यह कि वादी अपने अन्य भाई जो प्रतिवादी है को वाद भूमि को बाटने के लिए कहा तो सभी प्रतिवादी ने दिनांक 12-06-2016 को बटवारा से इन्कार कर दिया इस लिए वादी ने संयुक्त सम्पित को बंटवारा हेतु उक्त वाद लाना पड़ा है | यह कि वाद मुल्य एक लाख रूपया है जो मै केवल बंटवारा के लिए लाये है जिसका वाद मुल्य 250 निर्धारित है |

- 3. प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को नजारत व निबंधित डाक से सम्मन भेजा गया लेकिन प्रतिवादी न तो स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए वो न अपने अधिवक्ता के अधिकार पत्र के साथ में उपस्थित हुए तब न्यायलय के द्वारा सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध दिनांक 28-07-2017 को एकपक्षीय सुनवाई आरंभ हुई |
- 4. वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में चार साक्षियों का परीक्षण कराया है-

वादी साक्षी संख्या- 1 राकेश रजक वादी साक्षी संख्या- 2 सुधीर सिंह वादी साक्षी संख्या- 3 सुमन सिंह वादी साक्षी संख्या- 4 जगदीश सिंह

5. वादी अपने समर्थन में निम्न दस्तावेज को प्रदर्शित कराया है-

प्रदर्श संख्या- 1 खतियान की प्रमाणित प्रतिलिपि मौजा रुपौली, खाता संख्या-1397 खेसरा

संख्या-2895

प्रदर्श संख्या- 1/A खतियान की प्रमाणित प्रतिलिपि मौजा रुपौली, खाता संख्या-1398 खेसरा संख्या- 2474, 2472, 2473.

प्रदर्श संख्या- 1/B खतियान की प्रमाणित प्रतिलिपि मौजा रुपौली, खाता संख्या-1400 खेसरा

संख्या- 2854,2855,2856,2859.

<u>मंतब्य</u>

6.वादी के वाद-पत्र के अनुसार वादी के पिता दो भाई थे ब्रिजबिहारी सिंह एवं बैजनाथ सिंह जिनकों कुल 10 एकड़ 77 डिसमिल भूमि पिता जय नारायण सिंह से प्राप्त था जयनारायण सिंह की मृत्यु के पश्चात ब्रिजबिहारी सिंह एवं बैजनाथ सिंह सन-1980 में अलग हो गए प्रत्येक को 5 एकड़ 38

डिसमिल भूमि प्राप्त हुआ | यह कि खाता संख्या- 1400 खेसरा संख्या- 2854, 2855, 2856, 2859 में रकबा 1.60 डी जमीन का खितयान मेरे पिता ब्रजिबहारी सिंह के नाम से अलग से बना है | प्रस्तुत वाद में वादी के द्वारा पिता बृजिबहारी सिंह के द्वारा छोड़े गए संपित के बंटवारे हेतु दाखिल किया गया है वादी के पिता ब्रिजिबहारी सिंह के चार पुत्र स्व. गिरीश सिंह, स्व. शिशभूषण सिंह, सतीश सिंह एवं जगदीश सिंह (वादी) को छोड़कर मर गये | ब्रिजिबहारी के पुत्र स्व. गिरीश सिंह एवं स्व. शिशभूषण सिंह की मृत्यु हो गई है इन के पुत्रों को प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी बनाया गया है वाद भूमि ब्रिजिबहारी सिंह के संपित है जिसमें प्रत्येक का 4 आना है इस प्रकार वादी को वाद भूमि में ¼ अंश प्राप्त करने का हकदार है | यह कि वाद भूमि संयुक्त सम्पित है जो वादी के साथ संयुक्त रूप से खेती-बाड़ी होता है अन्य भाई जो प्रतिवादी है, जो दुसरे जिला सारण में रहते है, जिस कारण वादी को रख-रखाव में और प्रगित में किठनाई होती है और वादी ने अपने अंश भूमि की मांग किया तो बटवारा से इंकार कर दिया तो प्रस्तुत वाद वादी द्वारा दाखिल किया गया |

वादी की ओर से अपने दावे के समर्थन में चार मौखिक साक्षियों का परीक्षण कराया है वादी साक्षी संख्या 1, वादी साक्षी संख्या 2, वादी साक्षी संख्या 3 एवं वादी साक्षी संख्या 4 ने अपने साक्ष्य के द्वारा वाद-पत्र के तथ्यों का समर्थन किया है वादी साक्षी संख्या 4 स्वयं वादी है वादी साक्षी संख्या-1, वादी साक्षी संख्या- 2 एवं दावी साक्षी संख्या- 3 वादी के गांव के हैं इसलिए वादी के पिता एवं उनके द्वारा छोड़े गए संपत्ति की जानकारी रखते हैं वादी की ओर से अपने दावे का समर्थन खितयान की अभी प्रमाणित प्रतिलिपि (मौजा रूपौली) क्रमशः प्रदर्श संख्या 1, 1/A, 1/B अंकित कराया गया है जिसके अवलोकन से वाद-पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है कि वादी के पिता बृजबिहारी सिंह को वाद-पत्र में उल्लिखित भूमि है जो वादी ब्रिजबिहारी सिंह का पुत्र है ब्रिजबिहारी सिंह अपने चार पुत्र को छोड़ कर मर गया इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वादी वाद-भूमि में ¼ अंश हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है।

आदेश

वादी को इस वाद में एकपक्षीय डिक्री पारित किया जाता है |

आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हिंदी में स्नाया गया | आदेश मेरे द्वारा टंकित एवं श्द्ध |

विरेन्द्र प्रसाद मुंसिफ अनुमंडल व्यवहार न्यायालय बनमनखी (पूर्णियाँ) विरेंद्र प्रसाद मुंसिफ अनुमंडल व्यवहार न्यायालय बनमनखी (पूर्णियाँ)